



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2(40)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2021/संस्था/2021/2138 जयपुर दिनांक:- 8/6/22

—:आदेश:—

श्री प्रमोद कुमार, परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा हाल आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय द्वारा उनके पूर्व विभाग (राजस्थान लेखा सेवा) में निहित लियन के आधार पर राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में स्थायीकरण नहीं होने से राजस्थान लेखा सेवा हेतु कार्यमुक्त करने के लिये निवेदन किया है।

अतः श्री प्रमोद कुमार को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर (राजस्थान लेखा सेवा) में कार्यग्रहण हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

97

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को उनके आदेश कमांक प.1(52)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
9. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
10. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
11. आदेश पत्रावली।

97

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)